ISBN: 978-81-974088-0-9

5. क्या विकलांगता एक अभिशाप है (भारत के विशेष संदर्भ में) एवं समाधान

डॉ. राजेश मौर्य

सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र,
शासकीय नेहरू महाविद्यालय,
सबलगढ़ जिला मुरैना.

प्रस्तावना:

यदि, किसी से यह पूछा जाए कि, व्यक्ति का जीवन, कस्टमय ब दुखों से भरा हुआ है तो, उसका सही व उचित जवाब, केवल विकलांग या शारीरिक विकारों से ग्रसित व्यक्ति ही दे सकता है। जिसे हम विकलांगता कहते हैं। यह विकलांगता, सामान्य रूप से दो स्थितियों पर निर्भर करती है। पहले जन्मजात तथा दूसरा दुर्घटना, लेकिन ये दोनों ही स्थितियां, विकलांग व्यक्ति के लिए कष्टदायक होती हैं। क्योंकि उन्हें (विकलांगों) एक तरफ तो दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है तो, दूसरी तरफ समाज में जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों दुयरा अपमानजनक टीका टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए विकलांगों को समाज व् देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, यह अध्ययन करना जरूरी हो जाता है।

एक व्यक्ति के संदर्भ में, विकलांगता की अवधारणा को, भिन्न-थिन शब्दों में व्यक्त किया गया है। जहां एक तरफ ऐसे विद्वान हैं, जो विकलांगता को व्यक्ति के शरीर व मन की स्थितियों में परिभाषित करते हैं तो, दूसरी तरफ शरीर के विभिन्न विकारों के संदर्भ में, **एक वेबसाइट (www.cdc.gov)** विकलांगता को, व्यक्ति के शरीर व मन की कोई भी स्थिति, जो व्यक्ति को आस-पास की दुनिया से बातचीत करना, कठिन बना देती है तो, दूसरी वेबसाइट, दीर्घकालीन स्थितियों में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक दृष्टि से आस-पास के लोगों के साथ, बातचीत करना असंभव बना देती है।(1,2) लेकिन यदि विकलांगता की अवधारणा को व्यापक पैमाने पर देखा जाए तो, शरीर के विभिन्न विकार जैसे:-अंधापन, कम दृष्टि, चलने, फिरने में अक्षमता, कुष्ठ

रोग के ठीक हुए व्यक्ति, श्रवण दोष, बौनापन, बौद्धिक, अक्षमता, एसिड अटैक आदि के आधार पर परिभाषित किया गया है। भारत के संदर्भ में, विकलांग लोगों की स्थितियां कष्टमय व कठोर है या हम यह कह सकते हैं कि, यह विकलांगता एक अभिशाप है, क्योंकि उन्हें (विकलांगों) समाज के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा, अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया जाता है। **एस.सी.विस्पुते (2021) अपने पेपर में यह उल्लेख करते हैं कि-**भारत में विकलांग लोगों के अधिकारों को, संरक्षण प्रदान करने के लिए वर्ष 2016 में, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम पारित किया था।(3) लेकिन फिर भी विकलांग लोग, कई सामाजिक-आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जिसका कारण अधिनियम का कड़ाई से पालन नहीं करना है। आज भारत को आजाद हुए, लगभग 70 वर्षों से भी अधिक समय बीत गया है। परंतु उनकी (विकलांग लोगों) अभी-भी समस्या वैसी ही बनी हुई है। उनकी मानसिक व दयनीय स्थिति होने की वजह से, उनके जीवित रहने की इच्छा खत्म हो गई है।

यह शोध पत्र, विशेष रूप से, क्या विकलांगता एक अभिशाप है? पर आधारित है, जिसमें हम विकलांग लोगों की संख्या, अवधारणा और उनकी समस्याएं क्या-क्या है? के बारे में समझने का प्रयास करेंगे।

अध्ययन के उपदेश

मैने इस शोध पत्र को, पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया है।

1. विकलांगता क्या है? की अवधारणा को समझना।
2. भारत में विकलांग लोगों की संख्या कितनी है? को समझना।
3. भारत में विकलांग लोगों की समस्याओं? को समझना।

अध्ययन की सामग्री

भारत में विकलांग लोगों की अवधारणा, कोई नई बात नहीं है बल्कि, वर्षो पुरानी है। ऐसा अनुमान है कि, भारत ने आजादी प्राप्त करने के बाद से ही इस अवधारणा (विकलांगता) पर अपना ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया था। इसलिए विकलांगता से संबंधित साहित्य, काफी प्राचीन ऐतिहासिक सरकारी दस्तावेजों में दर्ज

है। इसी को ध्यान में रखते हुए, मैंने सरकारी दस्तवेजो, विभिन्न कानूनी पुस्तकों, पत्रकाओं, शोध जौर्नलो तथा इंटरनेट पर उपलब्ध, विभिन्न वेबसाइटों से सामग्री प्राप्त की है। इसके अंतर्गत, मेरा उद्देश्य, भारत में विकलांग लोगों की संख्या का पता लगाकर, उनकी समस्याओं पर दृष्टि डालना है।

विकलांगता की अवधारणा

इसके अंतर्गत, सर्वप्रथम हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि, विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति, किन्हे कहा जाता है। मेरे विचार से समाज का, वह व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति की तुलना में उसके शरीर में, कई विकारों या विकृतियों के कारण, लोगों से बातचीत करने में अक्षम है, विकलांग कहा जाता है। इसमें कोई एक विकार या बीमारी शामिल नहीं है, बल्कि विकलांग विकृतियों या बीमारियों का एक समूह है। **जैसे:-अंधापन, कम दृष्टि, बहरापन, चलने-फिरने में असमर्थता, श्रवण दोष, मानसिक मंदता, कुष्ट रोग से ठीक हुए लोग, एसिड अटैक आदि।(4)** इस प्रकार विकलांगता, एक प्रकार से विविध लोगों या विकारों का समूह है, जिसमें यह सभी विकार शामिल किए गए हैं।

विश्व के विभिन्न विद्वानों का कहना है कि, यह जरूरी नहीं है कि, विकलांगता दिखाई दे, कुछ विकलांगता छिपी हुई रहती है, जिसे अत्यंत ध्यान पूर्वक देखने पर ही, समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए:-किसी भी व्यक्ति की, एक आंख, कभी-कभी छोटी हो जाती है, गर्दन में बोलते समय, बीच में अटकना, जोकि विकलांगता का, एक रूप है आदि।

साधारण शब्दों में, विकलांग शब्द का अर्थ होता है कि, **समाज या देश का, कोई भी, ऐसा व्यक्ति, जो शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक रूप से जन्मजात, किसी अन्य विकारों से ग्रसित है, जिसके परिणामस्वरुप वह सामान्य व्यक्तियों से बातचीत करने में असमर्थता व्यक्त करता है। (5)** यदि कोई व्यक्ति, विकलांगता से पीड़ित होता है तो, उसके केवल दो ही कारण होते हैं। पहले जन्मजात तथा दूसरा उसे व्यक्ति के जीवन में गठित होने वाली, कोई भी दुर्घटना, जिसकी वजह से, वह आज विकलांग या दिव्यांग लोगों का, जीवन जीने के लिए मजबूर है।

विश्व के विभिन्न विद्वानों, संगठनों तथा कानूनो व अधिनियमों में विकलांगता को, अपने-अपने शब्दों में, इस प्रकार परिभाषित किया है। वर्तमान में, जिस तरह से विकलांग लोगों की पहचान की जाती है तो, वह चिकित्सा प्राधिकरण है। इसीलिए सर्वप्रथम चिकित्सा प्राधिकरण की परिभाषा को, लिया गया है। **चिकित्सा प्राधिकरण के अनुसार:-**समाज में जीवन यापन करने वाला, कोई भी, ऐसा व्यक्ति, जो निर्दिष्ट विकलांगता का कम-से-कम 40% में शामिल है, विकलांगता कहते हैं।(6) आज यह विकलांगों के लिए, एक जटिल समस्या बन गई है, क्योंकि कुछ लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए, गलत तरीके से, चिकित्सकों से 40 प्रतिशत विकलांग प्रमाण पत्र बना लेते हैं और जो वास्तव में विकलांग है, उनका अधिकार छीन लेते हैं।

विश्व का, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसे संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन कहते हैं, ने विकलांगता को, एक विकासशील अवधारणा के रूप में परिभाषित किया है और कहा है कि- यह विकलांगता, आम तौर पर विकलांग व्यक्तियों, मनोवृतियों एवं पर्यावरणीय बाधाओ के बीच, अंतर क्रिया से सृजित होती है, जो आगे जाकर, उसे (विकलांग व्यक्ति) पूर्ण या प्रभावी भागीदारी में बाधा उत्पन्न करती है। (7)

भारत सरकार का, विकलांगता अधिकार अधिनियम (2016) के अनुसार- समाज या देश में, जीवन यापन करने वाले, ऐसे व्यक्ति, जो दीर्घकाल से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व संवेदी विकलांगता से पीड़ित है, जिसकी वजह से, वे ना तो, लोगों के साथ बातचीत करने में सक्षम है और ना ही अपनी पूर्ण या प्रभावी भागीदारी करने में सक्षम आदि।(8)

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर, कहा जा सकता है कि, वह व्यक्ति, जो जन्मजात या किसी दुर्घटना के कारण, अपनी शारीरिक विकृतियों की समस्याओं का सामना कर रहा है, विकलांगता कहलाता है। शारीरिक विकृतियों में अंधापन, चलने, फिरने में असमर्थ, श्रवण दोष, कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति, एसिड अटैक कम दृष्टि, मानसिक बीमारी या मानसिक मंदता आदि शामिल है।

इन विकृतियों के कारण, ना तो आसपास के लोगों के साथ बातचीत कर पता है, और ना ही समाज में अपनी पूर्ण भागीदारी, ऐसे लोगों के लिए, अपना जीवन अपना कठिनाइयों से भरा हुआ है।

भारत में विकलांग लोगों की संख्या

हालांकि हमारे देश में, भारत सरकार द्वारा अपनी आजादी प्राप्त करने के बाद से ही विकलांग लोगों की संख्या का पता लगाना आरंभ कर दिया गया था। लेकिन फिर भी उनकी (विकलांगों) संख्या का आज तक सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सका है। इसका प्रमाण हमें, इस संदर्भ में मिलता है। **भारत के योजना आयोग के अनुसार-** देश की कुल आबादी में से, केवल पांच प्रतिशत लोग ही विकलांगता की समस्या का सामना कर रहे हैं। जबकि विश्व बैंक भारत में, विकलांग लोगों की संख्या 40 से 80 मिलियन (चार से आठ प्रतिशत) बताता है।(9) संख्या का सटीक अनुमान न लगने से विकलांगों को, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे सरकार द्वारा विकलांगों के सामाजिक- आर्थिक विकास योजनाएं बनाने में समस्या, उनके (विकलांगों) लिए योजना संबंधी समस्या, विकलांग लोगों के लिए, शिक्षा संबंधी नीति बनाने की समस्या, आदि ऐसी समस्या है, जिनकी वजह से, देश के विकलांग लोग अभी भी दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यदि हम संपूर्ण देश में विकलांग लोग कितने हैं, का पता लगते हैं तो, उनकी संख्या, इस प्रकार एक तालिका में दर्ज की गई है।

वर्तमान में भारत के विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में विकलांग लोगों की संख्या।

क्र.	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश	संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	4157514
2.	महाराष्ट्र बिहार	2963392
3.	बिहार	2331009
4.	आंध्र प्रदेश	2266607
5.	पश्चिम बंगाल	2017406
6.	राजस्थान	1563694
7.	मध्य प्रदेश	1551931
8.	कर्नाटक	1324205
9.	उड़ीसा	1244402

क्र.	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश	संख्या
10.	तमिलनाडु	1179963
11.	गुजरात	1092302
12.	झारखंड	769980
13.	केरल	761843
14.	पंजाब	653063
15.	हरियाणा	546374
16.	असम	480065
17.	दिल्ली	234882
18.	उत्तराखंड	185272
19.	जम्मू कश्मीर	361153
20.	हिमाचल प्रदेश	155316
21.	त्रिपुरा	64346
22.	मणिपुर	54110
23.	मेघालय	44317
24.	गोवा	33012
25.	नागालैंड	29631
26.	अरुणाचल प्रदेश	26734
27.	सिक्किम	18187
28.	अंडमान	6660
29.	दादर नगर हवेली	3294
30.	दमन लक्षद्वीप	2196
31.	लक्षद्वीप	1615

Source: -देश में सबसे ज्यादा यूपी में है विकलांग, **नवभारत टाइम्स** (समाचार पत्र) 3 जनवरी 2014.

उपरोक्त तालिका में, देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विकलांग लोगों की संख्या को दर्शाया गया है। तालिकाओं को देखने से ज्ञात होता है कि, देश के उत्तर प्रदेश राज्य में, विकलांगों की संख्या सर्वाधिक है, जबकि सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप में (1615) दर्शी गई है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे तथा दूसरे स्थान पर क्रमश महाराष्ट्र (2963392) व बिहार (2331009) राज्य हैं। शेष राज्य में विकलांगों की संख्या उतार चढ़ाव की स्थिति में है।

अर्थात यह कह सकते हैं कि, किसी में कम और किसी में ज्यादा संख्या है। तालिका में, जिस प्रकार से, शेष देश के दो राज्यों में, जो सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश, बिहार है, उससे तो हम यही कह सकते हैं कि इन राज्यों में विकलांग लोगों की अत्यंत दयनीय स्थित है क्योंकि यह भारत के, ऐसे राज्य हैं, जो बीमारू (पिछड़े, गरीब) राज्यों की श्रेणी में आते हैं। यहां पर हिंसा, धोखाधड़ी या शोषण का, एक रूप दिखाई देता है और इसके साथ ही, कई वर्षों से, सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों, जोकि विकलांग लोगों को लाभान्वित करने के लिए संचालित किए गए थे, महरूम हैं।

भारत में विकलांग लोगों की संख्या के संबंध में, एक और समस्या, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में, विकलांग लोगों की संख्या में, एक बड़ा व्यापक अंतर नजर आता है। आंकड़े बताते हैं कि- **वर्ष 2011 की जनगणना में, ग्रामीण क्षेत्रों में, कुल संख्या 69% तथा शहरी क्षेत्र में 31% है। (10)** यही नहीं, बल्कि लिंग (महिला पुरुष) के आधार पर भी, काफी भिन्नता है। भारत सरकार के, **एक सरकारी विभाग के अनुसार-** भारत में कुल विकलांग संख्या अर्थात 2.68 करोड़ में से, पुरुषों व् महिलाओं की कुल संख्या क्रमशः 1.5 करोड़ व् 1.18 करोड़ पाई गई थी।(11) यहां पर विकलांग लोगों में, महिलाओं की संख्या का, अधिक पाया जाना, इस बात की ओर इशारा करता है कि, परिवार व समाज को, ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार से वे (महिलाएं) एक मां, बहन, व गृह लक्ष्मी के रूप में भूमिका अदा करती हैं, विकलांग होना उचित नहीं है। यदि वे हैं तो, उनके सामाजिक- आर्थिक विकास के लिए, सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों का, गठन किया जाना चाहिए ताकि वह भी (महिलाएं) समाज व देश की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि, वास्तव में देश में विकलांग लोगों की संख्या का, अनुमान ठीक से नहीं लगाया है, जो कि नागरिकों के मौलिक अधिकार या मानवाधिकारों की दृष्टि से गलत है। यही कारण है कि देश में विकलांग लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं।

समस्याएं

संपूर्ण विश्व में, भारत एकमात्र ऐसा देश है, जो विविधताओं से परिपूर्ण है। यहां आपको सभी धर्म के लोग, देखने के लिए मिल जाएंगे। विभिन्न संस्कृतियों व् सभ्यताओं के लोग, यहां अपना कुशलतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालांकि कभी-कभी सांप्रदायिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, परंतु फिर भी एकता व अखंडता के अंश विद्यमान है। लेकिन इन सब सकारात्मक संभावनाओं के बावजूद, देश या समाज का, एक हिस्सा, जिसे हम विकलांगता या दिव्यांग लोग कहते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है या यह कहना अधिक उचित होगा कि, विकलांग लोग, कई मायनो में, विभिन्न परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

बे (विकलांग) शारीरिक, मानसिक रूप से तो, परेशान है ही, इसके अलावा उन्हें काफी लंबे समय से विभिन्न सुविधाओं से वंचित रखा गया है। **एस. पी. विस्पुते (2021) ने अपने पेपर में उल्लेख किया है कि-** भारत के विकलांग लोगों की समस्याएं, विविध हैं। बे (विकलांग) गरीब परिवार से तो है ही। इसके अलावा शिक्षा, रोजगार व विभिन्न सरकारी योजनाओं से भी, महरूम रखा गया है।(12) ऐसी परिस्थितियों में, उनके लिए (विकलांगों) परिवार व समाज में, अपना जीवन यापन करना मुश्किल प्रतीत होता है। वह कष्ट में, जीवन जी रहे हैं और साथ ही, परिवार के, अन्य सदस्यों पर भी निर्भर है।

आर, पांडे और एम. के.चार्ले (2019) ने अपने पेपर में स्पष्ट किया है कि- भारत में विकलांग लोग, विभिन्न समस्याओं से ग्रसित होने के कारण ही, अपनी पहचान एवं आत्मसम्मान हो चुके हैं। उनके जीवन को कष्टमय चिकित्सक परिस्थितियों ने नहीं, बल्कि पर्यावरण परिस्थितियों ने बनाया है।(13) यहां पर्यावरण का मतलब, समाज में, रहने वाले लोग हैं, जो आए दिन, उनके साथ (विकलांगों) अमानवीय व्यवहार से लेकर, अपमानजनक टीका- टिप्पणियां करते रहते हैं, जिससे विकलांगों के मन में,

हीन भावना पैदा हो जाती है और समाज के लोगों से, मोह भंग हो जाता है। यह उनके लिए, ऐसी समस्या है, जो जीवन जीने की तुलना में, मृत्यु की ओर, अधिक प्रेरित करती है।

भारत में विकलांगों की, केवल यही समस्याएं नहीं है, बल्कि और भी समस्याएं हैं **के. विजयन, डॉ. शानिमोंस और आर. इंदुराजन (2020) के अनुसार-** विकलांगता की दृष्टि से, भारत संपूर्ण विश्व में, एकमात्र ऐसा देश बन गया है कि, लगभग एक तिहाई परिवार, किसी न किसी, शारीरिक विकार या विकलांगता से पीड़ित है। जिसका मुख्य कारण बुजुर्गों एवं दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या और राजनीतिक मुद्दे हैं।(14) यहां राजनीतिक मुद्दों से मतलब, भारत सरकार से है। अर्थात कभी-कभी राजनीतिक दबाव के कारण, भारत सरकार विकलांगों के लिए, कोई भी नीतियां या कार्यक्रम पारित नहीं कर पाती है। या अपने आप को अक्षम महसूस करती है, जिसका, एक प्रमाण यह कि भारत सरकार ने सन 1970 के दशक से ही विकलांग लोगों से संबंधित मुद्दों पर, अपना ध्यान देना आरंभ कर दिया था। लेकिन समस्याएं, आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। आज भी वे समाज में विभिन्न सुविधाओं से वंचित होने के अलावा, सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहे हैं।

भारतीय संविधान देश के नागरिकों के अधिकारों व हितों को संरक्षण प्रदान करने हेतु, कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है जिसका मतलब है कि, देश का कोई भी नागरिक, फिर वह चाहे सामान्य व्यक्ति हो या फिर विकलांग, सभी को स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन करने का अधिकार है। **भारतीय संविधान में विकलांगों के लिए निम्नलिखित कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे: -**

- संविधान की धारा 14 के तहत सामानता का अधिकार।
- संविधान की धारा 15 (4) के तहत शिक्षा के संबंध में, विशेष प्रावधान का अधिकार।
- संविधान की धारा 16 (4) के तहत नियुक्तियों के संबंध में समानता का अधिकार।
- संविधान की धारा 21 के तहत विकलांग लोगों के लिए आरक्षण का अधिकार आदि। (15, 16, 17, 18,)

भारतीय संविधान में विकलांगों को, यह सभी अधिकार प्रदान करने के बावजूद वे (विकलांग) अपनी दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं। विकलांग न केवल सामाजिक- आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी, उनकी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने विकलांगों के लिए, अन्याय की स्थिति में **दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग संचालित किया है, जो न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत, कार्य करता है और विकलांगों की दशा सुधारने के क्षेत्र में, राज्य एवं केंद्र स्तर के, अधिकारियों को, प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। (19)** परंतु फिर भी उनकी (विकलांगों) की स्थिति वही की वही है। अर्थात इस क्षेत्र में भी कोई सुधार नहीं हुआ है, अभी भी उनको न्याय के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है। यदि हमें विकलांगों की सामाजिक- आर्थिक स्थिति में सुधार करना है तो, सबसे पहले, आप, हम, सभी को उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करनी पड़ेगी। उन्हें सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे दिलों में विकलांगों के लिए, जगह नहीं होगी या व्यवहार सम्मानपूर्वक नहीं होगा, तब तक उनकी स्थिति में सुधार करना संभव नहीं है। आम जनता का साथ ही, उनकी स्थिति को बेहतर कर सकता है। इस तरह से, हम दिव्यांग लोगों की मदद करके, एक अच्छे नागरिक का परिचय दे सकते हैं।

निष्कर्ष-

किसी भी देश में, सामान्य व्यक्तियों की तुलना में, विकलांग लोगों का पाया जाना, वास्तव में उनके (विकलांगों) के लिए एक अभिशाप है। ऐसे लोगों को जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहने के, साथ-साथ कष्टमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जिसका कारण हम, सब हैं, क्योंकि हम लोग, उन्हें देखकर सहानुभूति बहुत ही कम मजाक ज्यादा बनाते हैं।

कुछ लोग तो, उन्हें (विकलांगों) पागल लोगों की भांति व्यवहार करते हैं। मैंने अपने जीवन में, कई ऐसे लोगों को देखा है, जो विकलांग लोगों का, मजाक बनाकर बार-बार उन्हें चिढ़ाते हैं। उनके साथ, हंशी- टटोली करते हैं, जोकि मानवीय दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ऐसा करके, हम एक असभ्य नागरिक का परिचय देते हैं। इसीलिए आवश्यकता है की, सबसे पहले, आप हमें, अपने व्यवहार में सुधार करना होगा। उनके प्रति प्यार तथा सहानुभूति व्यक्त करना होगा। तभी हमारे देश के, विकलांग लोगों की, स्थिति में सुधार संभव हो सकता है।

मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि, आप, हमें, एक सभ्य व् सर्वश्रेष्ठ नागरिक होने के नाते, विकलांग लोगों के लिए, हर समय मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि दिव्यांग लोगों को, खुशहालीपूर्ण जीवन जीने में सहायता मिले और वह भी अपने जीवन को, एक अभिशाप नहीं समझे।

Reference:

1. Disability and Health Overview: -Impairments, Activities Limitation and Participation Restrictions., https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilitiesandhealth/disability.html#:~:text=what%20is%20disablitiy%3F,around%20them%20(participation%20restriction).
2. Definition of Disability: -Office of The State Commissioner for Person with Disability, Government of Meghalaya., https://megscpwd.gov.in/disability-def.html#:~:text=%22persons%20with%20disability%22%20means%20a,in%20society%20equally%20with%200theres.
3. Vispute, S.B. (2021) The Problems of Differently-Abled Person in India and Remedies for The Empowerment of Their Rights., International Journal of Multidisciplinary Education Research., Vol.10, Issue-7 (11), 30 July 2021.
4. Explain: - How much of Indian population lives with disability: The Indian Express (newspaper) 3 December,2020. by: - Nushaiba Iqbal.
5. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanism/instrument/declaration-rights-disabled-persons.
6. To see the reference number (2).
7. Mishra, Y. and Chakraborty (2020) Right to Accessibility and Movement of Disabled Person in Public Place Dignifiedly: -An Analysis of Legal Framework with Special Reference to Right of Person with Disability Act 2016., International Journal of Creative Research. Thoughts, Vol.8, Issue-4, April 2020.
8. The Rights of Person with Disability Act. 2016.
9. To see the reference number (7).
10. Disability in India., Office of Chief Commissioner for Person with Disabilities., https://www.ccdisabilities.nic.in/resources/disability-india#:~:text=the%20infirmities%20inclubed%20insanity%2c%20deaf%2dmutenes%2c%20blindess%20and%20leprosy.andtext=in%20india%20out%20of%20the,2,21%25%20of%20the%20total%20pulation.
11. To see the reference number (10)
12. To see the reference number (3)
13. Pandey, R. and Charles, M.K. (2019) A Critical Study of Legal Right of People with Disability: -Indian Scenario., International Journal of Research and Analytical Review., Vol.6, Issue-1, January-March 2019.

14. Vijanyan, K., Dr. Shanimons and Indurajani, R. (2020) Socio-Economic Condition of Differently-Abled Person in India., An Empirical Study Based On Secondary Data., International Journal of Scientific and Research Publication., Vol.10, Issue-11, November 2020.
15. Article 14 of The Constitution of India.
16. Article 15 (4) of The Constitution of India.
17. Article 16 (4) of the Constitution of India.
18. Article 21 of the Constitution of India.
19. Bhattacharya (2022) Inclusion of Differently-Abled People: -The Role of Training in Development of Human Resource., Manpower Journal, Vol.VI, Number 3 and 4 July-December 2022.